प्रेस विज्ञप्ति

16.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने 16/12/2024 को **संजीव हंस, आईएएस (बिहार-1997) व अन्य** के विरुद्ध धन-शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) , 2002 के प्रावधानों के तहत संजीव हंस, आईएएस के सहयोगियों प्रवीण चौधरी, पुष्पराज बजाज और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित 23.72 करोड़ रुपये (लगभग) की 7 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला है कि ये 7 अचल संपत्तियां, अर्थात नागपुर में 3 भूमि पार्सल, दिल्ली में 1 फ्लैट और जयपुर में 3 फ्लैट संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके हासिल की गई हैं।

ईडी ने पुलिस थाना-रूपसपुर की एफआईआर संख्या 18/2023 और उसके बाद विशेष सतर्कता इकाई, बिहार द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 5/2023 के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि संजीव हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर रहते हुए और वर्ष 2018-2023 की अवधि के दौरान अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अवैध धन अर्जित किया है।

यह देखते हुए कि संजीव हंस कुछ निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ मिलकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त है और साथ ही पीओसी के सृजन और धन-शोधन में उसके सहयोगी भी शामिल हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, पटना, पुणे, चंडीगढ़, अमृतसर, नागपुर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान, संजीव हंस के एक करीबी सहयोगी के परिवार के सदस्यों के नए खोले गए डीमैट खातों में पाए गए 60 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के शेयरों और 6 करोड़ रुपये (लगभग) की भारी नकदी जमा वाले 70 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा, इस मामले में कुल जब्ती में संजीव हंस के पटना और दिल्ली परिसरों से बरामद क्रमशः 80 लाख रुपये और 65 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और लक्जरी घड़ियां, तथा उनके सहयोगियों के परिसरों से 1.07 करोड़ रुपये की अस्पष्टिकृत नकदी, 11 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के 13 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां और 1.5 किलोग्राम सोने की सिल्लियां- 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के आभूषण और 20 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा शामिल है।

आगे की जांच जारी है।